खबर संक्षेप

शांति समिति की बैठक आज

शहडोल । आगामी दिनो में 27 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथयात्रा एवं 06 जुलाई को मोहर्रम त्योहार मनाया जना है। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 26 जून 2025 को प्रातः 11:30 बजे से जिला स्तरीय शान्ति समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में सांसद, विधायक सहित समिति के अन्य सदस्यों तथा संबंधित अधिकारियों से उपस्थित होने का आग्रह किया गया हैं।

सड़क हादसे में जीजा-साले की मौत

शहडोल। जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 1 बजे हुए सड़क हादसे में जीजा और साले की मौत हो गई। किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा भैंसहा तिराहे के पास हुआ। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार दोनों मृतक विजहा और सेमरा गांव के निवासी थे, वे किसी काम से विजहा से सेमरा जा रहे थे। इस दौरान भैंसहा तिराहे के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, हादसे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि दोनों शव सड़क पर पड़े थे और पास में ही एक क्षतिग्रस्त बाइक भी पड़ी थी। जिन्हें देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जयसिंहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं, पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि वाहन की पहचान की जा सके। थाना प्रभारी अजय बैगा ने बताया कि, मामले में मर्ग कायम किया गया है। अज्ञात वाहन की तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। जल्द ही वाहन और चालक का पता लगा लिया जाएगा।।

अब अस्पताल में ही मिलेगा नवजात का जन्म प्रमाण-पत्र

शहडोल। अब नवजात शिशु के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए माता-पिता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मध्यप्रदेश शासन के आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ऋषि गर्ग ने निर्देश दिए हैं कि माँ को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही नवजात का जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और अधिक सहज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन, राज्य स्तरीय नियमों में आवश्यक बदलाव, और नया केंद्रीय सीआरएस पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्य रजिस्ट्रार श्री गर्ग ने कहा कि संस्थागत प्रसवों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं, ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि जन्म प्रमाण-पत्र अस्पताल में ही तत्काल जारी कर दिया जाए, जिससे आमजन को इसके लिए अन्यत्र न भटकना पड़े। राज्य शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इस आशय के दिशा-निर्देश अस्पतालों को जारी कर दिए गए हैं, ताकि जन्म प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया पूरी तरह से अस्पताल स्तर पर ही पूर्ण की जा सके। गौरतलब है कि जन्म प्रमाण-पत्र एक अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है, जो स्कूल प्रवेश, पहचान पत्र, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं और अन्य कई जरूरी प्रक्रियाओं में आधारभूत दस्तावेज के रूप में काम आता है। यह पहल जन्म प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम माना जा रहा है।

सरकारी भूमि में घर, कानून का नहीं डर

एक हफ्ते में नेस्तनाबूत होगा अवैध कब्जा

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल की शासकीय जमीने सुरक्षित् नहीं हैं । प्रशासन की तमाम कोशिशो के बाद भी लोग नजूल की जमीनों पर पलक झपकते ही निर्माण करने से बाज नहीं आते है। कुछ ऐसा ही मामला जैतपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम खैरहनी के कुआंमुड़ी गांव में प्रकाश मे आया है। आम लोगों के विरोध स्वरूप अवैध रूप से शासकीय जमीन पर बनाये घर को प्रशामन ने संज्ञान में ले लिया है और बेजा कब्जाधारी को नोटिस जारी कर दी गई है। जिले के जैतपुर तहसील अंतर्गत ग्राम कुआंमुड़ी में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मकान के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार ग्राम कुआंमुड़ी में खसरा नंबर 217/1 की 3.836 हेक्टेयर भूमि पर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा पिता रामकुमार मिश्रा द्वारा नियमों के विरुद्ध पक्का निर्माण किया गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत यह निर्माण अवैध घोषित किया गया है। इस निर्माण पर पूर्व में भी 24 जून 2020 को नोटिस जारी कर 2000 रुपये की अर्थदंड राशि निर्धारित की गई थी, जिसे आज तक जमा नहीं किया गया। इसके बावजूद अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई थी। तहसीलदार जैतपुर के आदेश क्रमांक 0036/अ-68/2020-21 के अंतर्गत अब उक्त भूमि पर बने अवैध निर्माण को सील कर उसे शासन के सुपुर्द किया जाना तय किया गया है। इस संबंध में दिनांक 4 मार्च 2024 को प्रकरण की सुनवाई भी की गई थी, जिसमें कब्जाधारी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका।

टीम गठित एक्शन का आदेश

मकान को सील करने व शासकीय भूमि को मुक्त कराने के लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय टीम समेत पुलिस बल भी शामिल रहेगा। टीम में प्रमुख रूप से शिव कुमार सिंह नायब तहसीलदार जैतपुर, वृत्त बिजुरी/रूपोला, दयाराम सिंह माकों राजस्व निरीक्षक मण्डल जैतपुर, सुखलाल सिंह राजस्व निरीक्षक मण्डल रसमोहनी, आकाश दुबे पटवारी हल्का खैरहनी तहसील जैतपुर, अलगू सिंह पटवारी हल्का रसमोहनी, तहसील जैतपुर, लखन बेगा, पटवारी, हल्का भठिया, तहसील जैतपुर, तारा सिंह पेन्द्राम पटवारी हल्का सेजहाई, पूजा साहू पटवारी हल्का गलहथा, वैशाली सोलंकी, पटवारी हल्का बलभद्रपुर नं. 1, वैष्णवी ताम्रकार पटवारी हल्का कमता, विष्ण साहू कोटवार हल्का रसमोहनी तहसील जैतपुर, भीमसेन साहू कोटवार, हल्का कुड़ेली तहसील जैतपुर, गोरेलाल पनिका कोटवार हल्का भमला तहसील जैतपुर को शामिल किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैतपुर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह मौके पर पुलिस बल के साथ उपस्थित रहें एवं किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करें। तहसीलदार कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में यह कार्रवाई एक उदाहरण स्वरूप की जा रही है, ताकि अन्य लोग भी इससे सबक लें।

सर्पदंश से ग्रसित व्यक्ति को ले जाएं अस्पताल : तरूणा

वन्य जीवों की सुरक्षा एवं जन हानि रोकने संबंधी बैठक सम्पन्न

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

टाइगर रिजर्वों के कोर एवं बफर क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं जन हानि रोकने संबंधी बैठक कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर वन मंडलाधिकारी तरूणा वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगो को वन्य जीवों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाए तथा वन्य जीवो के मूवमेंट होने पर ग्रामीणों को जानकारी दी जाए, उन्हें वन्य जीवों के आसपास नही जाने की समझाइश दी जाए। सामान्य तौर पर वन्य जीव टाइगर रिजर्वों के कोर एवं बफर क्षेत्रों में भ्रमण करते है। इस दौरान लोग भयभीत होकर वन्य जीवों के आस पास एकत्र हो जाते है जिससे वन्य जीव आक्रमक हो जाते है। इन परिस्थितियों में दूर से उनके मूवमेंट पर नजर रखने तथा इसकी जानकारी वन विभाग के मैदानी अमले को दी जानी चाहिए। इसी तरह वन क्षेत्रो के कोर एवं बफर एरिया में बहुत से कुऐ ऐसे होते है जिनमें मुडेर अथवा फैसिंग नही होती है, रात के अंधरे में वन्य जीव इन कुओ में गिर जाते है कई बार उनकी जान भी चली जाती है इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे कुओ का चिन्हाकन कर मनरेगा मद से इन कुओ में मुडेर बनाने या फैसिंग करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल आते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ जाती है। जन सामान्य को सलाह दी जानी चाहिए कि वे वर्षा ऋतु में विशेष सतर्कता बरतें। झाड़ियों, पुआल के ढेर, लकड़ी के गट्ठर आदि स्थानों में काम करने से पहले वहां डंडे या लाठी से हल्का प्रहार करें। अंधेरे में टॉर्च का उपयोग करें और बच्चों को बिना देखरेख खुले स्थानों पर न भेजें। घर के आसपास साफ-सफाई रखें, झाड़ियाँ काटें और कूड़ा-कचरा हटाएं। घरों की दीवारों में मौजूद दरारें बंद करें और खुले में सोने से परहेज़ करें। यदि किसी को सर्प ने डस लिया हो तो घबराएं नहीं, शरीर को शांत रखें और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुँचें। घाव को चाकू से काटना, चूसना या उस पर कोई रसायन लगाना अत्यंत हानिकारक है। झाड़-फूंक, टोना-टोटका या तांत्रिक क्रियाओं में समय न गंवाएं। यह समय जीवन रक्षक हो सकता है, इसलिए हर क्षण अमूल्य है। उन्होंने कहा कि सर्पदंश ग्रसित व्यक्ति को यथाशीघ्र नजदीकी अस्पताल ले जाएं। यदि संभव हो तो सांप का रंग, लंबाई या कोई चित्र याद रखें लेकिन उसे मारने या पकड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे और खतरा हो सकता है। कई बार सांप विषैला नहीं भी होता, पर उपचार में देर जानलेवा साबित हो सकती है। सभी नागरिकों से अपील है कि वे सर्पदंश से संबंधित इस आपदा को गंभीरता से लें। शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंध तभी प्रभावी होंगे जब नागरिक स्वयं भी सावधानी बरतेंगे, समय पर उपचार लेंगे और जागरूकता फैलाने में सहयोग करेंगे। संयुक्त प्रयासों से ही सर्पदंश से होने वाली जनहानि को नियंत्रित किया जा सकता है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजय सिंह, वेदमणि मिश्रा सहित वन विभाग के मैदानी अधिकारी उपस्थित रहें।

समग्र आईडी ई-केवाईसी एवं आधार पंजीयन कार्य में लाएं तेजी- कलेक्टर

पीपुल्स प्रवक्ता, अनुपपुर।

कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने जिले में समग्र आईडी से ई-केवाईसी हेतु संचालित अभियान की सघन मॉनिटरिंग एवं निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक एवं मोबिलाइजर तथा नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। कलेक्टर ने सभी को अभियान से जोड़ने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे समग्र ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कर सकें। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्टर कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

नशा मुक्त भारत के लिए विद्यार्थियों ने बनाई मानव श्रृंखला

पीपुल्स प्रवक्ता, अनुपपुर ।

नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या में शासकीय मॉडल उत्तर माध्यमिक विद्यालय जैतहरी में मानव श्रृंखला बनाकर विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने का संदेश दिया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जैतहरी विकासखंड ग्रामीण युवा समन्वयक श्री दिनेश कुमार सिंह चंदेल तथा प्राचार्य कमलेश राठौर तथा विद्यालय शिक्षकों के उल्लेखनीय सहयोग से विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति का संदेश देने मानव श्रृंखला बनाकर हम सब ने ठाना है नशा मुक्त भारत बनाना है जैसे प्रेरक नारे लगाकर नशा के विरुद्ध जन जागरूकता का संदेश दिया। राज्य शासन के दिशा निर्देशो के अनुरूप माह भर चले नशा मुक्त भारत अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत समापन कार्यक्रम गुरुवार 26 जून 2025 को एकलव्य विद्यालय अनूपपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विविध जन जागरूकता गतिविधियों मे उत्कृष्ट योगदान के लिए सहयोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आपातकाल की बरसी में लोकतंत्र सेनानी सम्मानित

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार? एवं भाजपा जिलाअध्यक्ष अमिता चपरा के मार्गदर्शन में आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय विचार संगोष्ठी व संस्मरण प्रदर्शनी एवं लोक तंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन कमला नगर स्थित अटल निलय जिला भाजपा कार्यालय किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे एवं मुख्य वक्ता के रूप में रमनरेश सिंह लोकतंत्र सेनानी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता व विषय प्रस्तावित के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अमिता ने प्रस्ताव का वाचन किया वही संगोष्ठी कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र दुबे एवं कामता प्रसाद गौतम ने आपातकाल के समय हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं अपने विचार रखें।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विनय केवट ने जानकारी देते हुए बताया कि मंचासीन अतिथियों द्वारा पार्टी की परंपराअनुसार कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा के पित् पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई इस दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50 वीं बरसी पर संस्मरण प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया इस दौरान अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा ने लोकतंत्र सेनानियों मिशाबंधियों का साल श्रीफल भेंट कर इनका किया स्वागत सम्मान मुख्य वक्ता के रूप में पधारे लोकतंत्र सेनानी रामनोथ सिंह, नारायण दास शुक्ला, नरेंद्र दुबे, अरविंद गुप्ता, आशा देवी कटारे पत्नी स्व. कपूर चंद कटारे ,रमेशचंद्र गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता, काशीनाथ कटारे पुत्र राजा कटारे का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा, मुख्य वक्ता रामनरेश सिंह, सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक मनीषा सिंह, विधायक शरद कोल मंचासीन रहे , कार्यक्रम का सफल संचालन आपातकाल कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश जगवानी ने किया तो वही आभार व्यक्त अमित गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिजन प्रबुद्धजन भाजपा दाधिकारी वरिष्ठ एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

30 जून से रेत खनन पर रोक, जर्जर शालाओं को जल्द गिराने के निर्देश

जिले में अब तक 111.9 मिमी वर्षा दर्ज, कलेक्टर ने की सतर्क रहने की अपील

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

जिले में मानसून दस्तक दे चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वर्षा दर्ज की जा रही है। बारिश के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में जलभराव, नालों और नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आमजन विशेष रूप से बच्चों को जल स्रोतों से दूर रखें, और जल से भरे क्षेत्रों के पास अनावश्यक न जाएं। कलेक्टर ने कहा कि पुल-पुलियों पर यदि पानी बह रहा हो या जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो, तो न स्वयं पार करें और न ही वाहन लेकर पार जाने का प्रयास करें। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल स्थानीय थाना, तहसील, जनपद या एसडीएम कार्यालय को सूचना दें। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग वर्षाकाल में संयम और सतर्कता बरतें। जल से जुड़ी किसी भी आकस्मिक स्थिति को हल्के में न लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और जन-धन की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं।

जिले में अब तक औसत वर्षा 111.9 मिमी

अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 जून को जिले में औसतन 34.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सोहागपुर में 57.00 मिमी., बुढ़ार में 44.0 मिमी., गोहपारू में 6.0 मि.मी., जैतपुर में 86.0 मिमी, चन्नौड़ी में 38.0 मिमी., ब्यौहारी में 0.0 मिमी, जयसिंहनगर में 7.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 01 जून 2025 से अब तक वर्षामापी केन्द्र सोहागपुर में 100.0 मिमी., बुढ़ार में 74.0 मिमी., गोहपारू में 64.0 मि.मी., जैतपुर में 196.0 मिमी, चन्नौड़ी में 182.0 मिमी., ब्यौहारी में 96.0 मिमी, जयसिंहनगर में 71.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार जिले में अब तक औसत वर्षा 111.9 मिमी. दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 69.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार जिले में अब तक औसतन 111.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 69.3 मिमी था। इससे साफ है कि इस वर्ष वर्षा की रफ्तार पहले से तेज है।

30 जून से रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

वर्षा ऋतु के दौरान नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने 30 जून 2025 से 01 अक्टूबर 2025 तक जिले में रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध शहडोल जिले की सभी नदियों और अधिकृत रेत खदानों में लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर खनिज नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जर्जर शालाएं होंगी जमींदोज

वर्षाकाल में संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले की अत्यधिक जर्जर शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को चिन्हित कर 15 दिवस में %जीर्ण-शीर्ण% घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि कई स्कूल भवन इतने जर्जर हैं कि वर्षा के दौरान उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे भवनों को गिराकर उनके स्थान पर अतिरिक्त कक्ष और नवीन भवन निर्माण की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए, जिससे बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता : कुलगुरु

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के सभागार में मनाया गया। इस अवसर पर डिबेट व्याख्यान माला एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा निर्मित लघु फिल्म तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो. राम शंकर ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में सोहागपुर के अनुविभागीय अधिकारी अरविंद शाह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती पूजन कुलगुरु एवं मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पूर्व एक रैली का अयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राम शंकर ने संविधान की संरचना, उसकी महत्ता तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी रक्षा हेतु युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यह न केवल संस्थानों पर आधारित है, बल्कि नागरिकों की आस्था, भागीदारी और विवेक पर भी निर्भर करता है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमारी जनता है।